

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र



क्रमांक 128 भरतपुर / 2007 - 2008

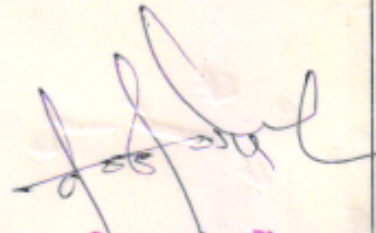
यह प्रमाणित किया जाता है कि

.....
तहसील जिला का राजस्थान संस्था
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत
रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से

आज दिनांक माह
सन् दो हजार को
में दिया गया।




रजिस्ट्रार संस्थाये,
भारतपुर (राज.)

कार्यालय उप रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार संस्थाएँ सहकारी समितियाँ, भरतपुर(राज०)

क्रमांक :- 323

दिनांक :- ११/१२/२०२०

(राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 एवं 4-क के अन्तर्गत)

आज्ञा /

नोटिस

चार्लिक शेज खीसा समिती

द्वारा नयवर्द्ध 1.

आपका ध्यान श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक फा.समिती/रजि०/मिस/2/59/पार्ट-3 दिनांक 09-04-2012 राजस्थान पत्रिका दिनांक 12-04-2012 में प्रकाशित विज्ञापित सार्वजनिक सूचना की ओर आकर्षित कर, जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 के अनुसार उक्त अधिनियमान्तर्गत पंजीकृत प्रत्येक के लिए प्रत्येक वर्ष में एक बार वार्षिक साधारण अधिवेशन की सूचना 14 दिवस के भीतर संस्था के सौंपे गये काम काज के प्रबन्ध तत्समय सौंपा हुआ हो सम्बन्धित पदाधिकारियों के नाम व पते और उपजीविकाएं अंकित हों, की सूची प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 4-क के अन्तर्गत धारा 4 में वर्णित सूची के साथ ही संस्था के सदस्य / पदाधिकारियों एवं विधान/नियमावली में उस वर्ष हुए परिवर्तनों के विवरण संस्था के पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित हो भी रजिस्ट्रार संस्थाओं को 15 दिवस के भीतर प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 4-ख के अनुसार यदि किसी संस्था का अध्यक्ष, सचिव या अन्य प्राधिकृत कोई व्यक्ति जो कि अधिनियम की धारा 4 एवं 4-क कीपालना किये जाने के लिए दायित्वाधीन है, उक्त धारा 4 एवं 4-क के उपबन्धों के अंतर्गत रजिस्ट्रार संस्थाओं को सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह दोष सिद्ध होने पर 500/- रु तक के आर्थिक दण्ड का भागीदार हो सकेगा और ऐसे अपराध के लिए प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् प्रति 50/- रु अनधिक आर्थिक दण्ड अधिरोपित किये जाने के भी प्रावधान हैं।

इसी प्रकार उक्त धारा 4-ख की उप धारा 2 के अनुसार यदि कोई संस्था की ओर से सूचनाओं सम्बन्धी विवरण में जानबूझकर कोई गिथ्या प्रविष्टि या लोप करता है तो 2000/- रु तक के अर्थ दण्ड के लिए दण्डनीय है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप अपनी संस्था में सम्बन्धित उक्त अधिनियमान्तर्गत वांछित सूचानएं वर्ष 2018-2019 तक की एवं संस्था द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा प्रति वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्तानुसार सूचना प्रस्तुत करना भविष्य में सुनिश्चित करें, अन्यथा अधिनियम की धारा 4-ग के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह नोटिस आज दिनांक ०१/०१/२०२० को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएँ
रजिस्ट्रार संस्थाएँ
भरतपुर (राज०)

पब्लिक रोज शिक्षा समिति, हन्तरा (नदबई)

तुलनात्मक विवरण पत्र

क्र. विधान की धारा सं० पंजीकृत विधान नियम विधान संशोधित नया नियम

1.

3

पूर्व पंजीकृत विधान में अंकित उद्देश्य यथावत रहेंगे।

पूर्व पंजीकृत विधान में अंकित उद्देश्यों के अलावा निम्न लिखित उद्देश्यों को और शामिल किया गया :-

1 नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत स्पेशल स्कूल खोलना तथा मूक वधियों, व दिव्यांगों के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करना।

कार्यक्षेत्र में विटनरी कॉलेज तथा एग्रीकल्चर कॉलेज संचालित करना।

विधान संशोधन पंजीकृत
दिनांक 09/09/2020

रजिस्ट्रार संस्था
भरतपुर (राज०)



2

11

संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन निम्न अनुसार किया गया है :-

1. अध्यक्ष - एक
2. उपाध्यक्ष - एक
3. मंत्री- एक
4. उपमंत्री - एक
5. कोषाध्यक्ष - एक
6. सदस्य- छै:
7. मनोनीत पदेन सदस्य - चार

संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन निम्न अनुसार किया गया है :-

1. अध्यक्ष - एक
2. उपाध्यक्ष - एक
3. मंत्री- एक
4. उपमंत्री - एक
5. कोषाध्यक्ष - एक
6. सदस्य- दस
7. मनोनीत पदेन सदस्य - चार

प्रेमलता
अध्यक्ष
पब्लिक रोज शिक्षा समिति
हन्तरा (भरतपुर)

Secretary
Public Raza Education Samiti
Hantra (Bharatpur)

NSingh
कोषाध्यक्ष

पब्लिक रोज शिक्षा समिति, हन्तरा (नदबई)

साधारण सभा दिनांक १९/०१/२० को कार्यकारिणी का निर्वाचन कर निम्न प्रकार नवीन कार्यकारिणी गठन किया गया :-

क्र.सं.	नाम, पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1.	श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री संतोष चौधरी	अध्यापन	ग्रा० पो० हन्तरा तह० नदबई	अध्यक्ष
2.	श्री घनश्याम सैनी पुत्र श्री मनोहर लाल	प्राई० नौकरी	18/502 लखंडा बाला कूआ अलवर	उपाध्यक्ष
3.	श्री संतोष कुमार पुत्र श्री द्वारिकाप्रसाद	जीएनएम	ग्रा० पो० हन्तरा तह० नदबई	मंत्री
4.	श्री सत्यजीत सिंह पुत्र श्री नवरत्न सिंह	समाजसेवा	शिवाजी पार्क अलवर	उपमंत्री
5.	श्री नवरत्नसिंह रावत पुत्र श्री लक्ष्मण रावत	प्राई० नौकरी	5 क 101 शिवाजी पार्क अलवर	कोषाध्यक्ष
6.	श्रीमती राजवती पत्नी श्री सुरेन्द्र गोपालिया	नौकरी	2/255 हा० यो० जवाहर नगर भरतपुर	सदस्य
7.	श्री गरदन सिंह पुत्र श्री रामखिलाडी	शिक्षाविद्	ब्राह्मण थोक बड़ा उटारदा नदबई	सदस्य
8.	श्रीमती रजनी पत्नी श्री बलदेव	अध्यापन	राजाखेडा धौलपुर	सदस्य
9.	श्रीमती रिया कुमारी पत्नी श्री कालीचरण	शिक्षाविद्	कमरनिया थोक बड़ा नदबई, भरतपुर	सदस्य
10.	श्री भगवानसिंह कोली पुत्र श्री मनोहरी कोली	कृषिकार्य	ग्रा० पो० हन्तरा तह० नदबई	सदस्य
11.	श्रीमती ममता मिश्रा उर्फ ममता शर्मा पत्नी श्री मुकेश कुमार शर्मा	शिक्षाविद्	बाबे की कूरी करौली राज०	सदस्य
12.	किरणदेई पत्नी श्री नारायण सिंह	समाजसेवा	ग्रा० अरौदा हन्तरा तह० नदबई भरतपुर	सदस्य
13.	सितारा बानो पत्नी श्री ईशव खान	गृहणी	ग्रा० अरौदा हन्तरा तह० नदबई भरतपुर	सदस्य
14.	खेमसिंह पुत्र श्री हरिसिंह	शिक्षाविद्	मीना कॉलोनी मुखेना भूतोली वैर, भरतपुर	सदस्य
15.	नेहा पुत्री जगमाल सिंह	अध्यक्ष	शिवाजी पार्क अलवर	सदस्य
16.	छात्र प्रतिनिधि मनोनीत पदेन	अध्यक्ष	ग्रा० अरौदा हन्तरा तह० नदबई	सदस्य
17.	अभिभावक प्रतिनिधि मनोनीत पदेन	अध्यक्ष	ग्रा० अरौदा हन्तरा तह० नदबई	सदस्य
18.	स्टाफ प्रतिनिधि मनोनीत पदेन	अध्यक्ष	ग्रा० अरौदा हन्तरा तह० नदबई	सदस्य
19.	शिक्षा/उच्च शिक्षा विभागीय प्रतिनिधि मनोनीत पदेन	अध्यक्ष	ग्रा० अरौदा हन्तरा तह० नदबई	सदस्य

रजिस्ट्रार संस्थाएं
भरतपुर (राज०)

हस्ताक्षर निर्वाचन अधिकारी

प्रेमलता
अध्यक्ष
पब्लिक रोज शिक्षा समिति
हन्तरा (भरतपुर)

Public Rose Siksha Samiti
Hantra (Bharatpur)

कोषाध्यक्ष

पब्लिक रोज शिक्षा समिति, हन्तरा (नदबई)

संस्था के समस्त साधारण सदस्यों की सूची :

क्र. सं.	नाम, पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री संतोष चौधरी	अध्यापन	ग्रा० पो० हन्तरा तह० नदबई	प्रेमलता
2.	श्री घनश्याम सैनी पुत्र श्री मनोहर लाल	प्राई० नौकरी	18/502 लखंडा वाला कूआ अलवर	घनश्याम
3.	श्री संतोष कुमार पुत्र श्री द्वारिकाप्रसाद	जीएनएम	ग्रा० पो० हन्तरा तह० नदबई	संतोष
4.	श्री गरदन सिंह पुत्र श्री रामखिलाडी	शिक्षाविद्	ब्राह्मण थोक बढा उटारदा नदबई	गरदन सिंह
5.	श्री नवरत्नसिंह रावत पुत्र श्री लक्ष्मण रावत	प्राई० नौकरी	5 क 101 शिवाजी पार्क अलवर	N Singh
6.	श्रीमती राजवती पत्नी श्री सुरेन्द्र गोपालिया	नौकरी	2/255 हा०बो० जवाहर नगर भरतपुर	राजवती
7.	श्रीमती रिया कुमारी पत्नी श्री कालीचरण	शिक्षाविद्	केसरजिया थोक बढा नदबई, भरतपुर	रिया
8.	श्रीमती रजनी पत्नी श्री बलदेव	गृहणी	राजाखेडा धौलपुर	रजनी
9.	श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री नवरत्न सिंह	गृहणी	शिवाजी पार्क अलवर	शकुन्तला
10.	श्री भगवानसिंह कोली पुत्र श्री मनोहरी कोली	कृषिकार्य	ग्रा० पो० हन्तरा तह० नदबई	भगवान सिंह
11.	श्रीमती ममता मिश्रा उर्फ ममता शर्मा पत्नी श्री मुकेश कुमार शर्मा	शिक्षाविद्	ताँबे की टौरी करौली राज०	ममता
12.	खेमसिंह पुत्र श्री हरिसिंह	शिक्षाविद्	मीना कॉलोनी मुखेना भूतोली वैर, भरतपुर	Xhemana
13.	सितारा वानो पत्नी श्री ईशव खान	गृहणी	ग्रा० अरौंदा हन्तरा तह० नदबई भरतपुर	सितारा
14.	किरणदेई पत्नी श्री नारायण सिंह	समाजसेवा	ग्रा० अरौंदा हन्तरा तह० नदबई भरतपुर	किरणदेई
15.	नेहा पुत्री श्री जगमाल सिंह	अध्यापन	शिवाजी पार्क अलवर	Neha
16.	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री दलगंजी	समाजसेवा	ग्रा० पो० हन्तरा तह० नदबई	राकेश कुमार
17.	श्री ईशवर्खॉन पुत्र श्री हीरालाल	समाजसेवा	ग्रा० अरौंदा तह० नदबई भरतपुर	ईशवर्खॉन
18.	श्री सत्यजीत सिंह पुत्र श्री नवरत्न सिंह	समाजसेवा	शिवाजी पार्क अलवर	सत्यजीत
19.	श्री मलखान सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह	समाज सेवा	विजबारी तह० वैर जिला भरतपुर	मलखान सिंह
20.	श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री द्वारिकाप्रसाद	गृहणी	ग्रा० हन्तरा तह० नदबई, भरतपुर	शान्ती देवी
21.	श्री साहव सिंह पुत्र श्री परशुराम	समाजसेवा	ग्रा० हन्तरा तह० नदबई, भरतपुर	साहव सिंह

प्रेमलता
अध्यक्ष
पब्लिक रोज शिक्षा समिति
हन्तरा (भरतपुर)

Secretary
Public Rosh Education Samiti
Hantra (Bharatpur)

N Singh
कोषाध्यक्ष